FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
दयालराम पुत्र पेफाराम जाति जाट निवासी टोडास तहसील नावां हाल चितावा		गिरधारीराम पुत्र बालूराम जाट टोडास वगैरह

राजस्व प्रार्थना–पत्र – अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955

वाद–पत्र नम्बर 36/ **2020** **RCMS No.** 2020/00085

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
5/8/2020	वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनॉक 08.09.2020 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम चितावा पटवार मण्डल चितावा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 438, 439, 440, 442 में अप्रार्थीगण 1 ता 4 उक्त भूमि का बिना विधिवत भू–विभाजन के बेचान हस्तानान्तरण व रहन बक्शीश इत्यादि नही करे, अप्रार्थी संख्या 9 उक्त अनुसार किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करे तथा अप्रार्थी संख्या 10 व 11 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनॉक 08.09.2020 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
07/9/2020	वकील प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी ने कथन किया है कि पक्षकार के मध्य राजीनामा हो चुका है। प्रा. पत्र 212 R.T.Act अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत नहीं चलाना चाहते, अतः वापिस विड्रोल [illegible] प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा विड्रोल [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature]	दयालराम [signature] [signature] [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.10.24 12:33:05 IST
Reason: SelfAttested